कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांकः 505 / 14—1 आगरा : दिनांक : अगस्त 8, 2023

सेवा में,

अवर अभियन्ता (सिविल)
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
आगरा।

विषय : जनपद आगरा के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 आगरा में एन0एच0—2 से एन0एच0—3 को जोड़ने वाले रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह—बयाना रेल सेक्शन के किमी0 73/7—8 पर स्थित सम्पार सं0—11सी/2टी पर 04 लेन उपरिगामी के निर्माण हेतु 0.06400 हे0 संरक्षित वनभूमि (आगरा टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के मील 11 पर) गैर वानिकी प्रयोग एवं 26 वृक्षों के पातन/ट्रांशप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/145/2022/एफ.सी./276 दिनांक 02.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अद्योहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः शर्तों का अनुपालन आप निम्न प्रकार करते हुए विन्दुवार अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1. प्रयोक्ता द्वारा इस आशय की बचनवद्वता प्रेषित करनी होगी कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगां
2. प्रयोक्ता द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र.संलग्न करना होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 61298.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. शर्त सं0—6 के अनुपालन में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 343270.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. शर्त सं0—2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 2074000.00 ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता द्वारा जमा की जायेगी।
7. प्रयोक्ता द्वारा शर्त सं0—07 से 27 तक की समस्त शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में वचनवद्वता प्रमाण पत्र प्रेषित करनी होगी।

T 9/8/23 (Dw. Singh)

भवदीय

A.Kr

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 505 / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

A.Kr

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/Draftman/Letter-20/170

एन0एच0–2 से एन0एच0–3 को जोडने वाले रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह–बयाना रेल सेक्शन के किमी0 73/7–8 पर स्थित सम्पार सं0–11सी/2टी पर 04 लेन उपरिगामी के निर्माण में दण्डात्मक नेट प्रजेंण्ट वैल्यू की धनराशि का विवरण

क0सं0	विवरण	धनराशि
1.	क्षेत्रफल हे0 में	0.06400
2.	अवधि	01 वर्ष
3.	प्रति हे0 वैल्यू रू0 में	9,57,780.00
4.	कुल वैल्यू रू0 में 9,57,780 x 0.06400 x 5	306490.00
5.	कुल ब्याज की गणना 306490 x 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष	36779.00
6.	कुल दण्डात्मक नेट प्रजेंण्ट वैल्यू 306490 + 36779	343269.00
	अथवा	343270.00

(आदर्श कुमार)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।